



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

11 भाद्र 1943 (श0)
(सं0 पटना 766) पटना, वृहस्पतिवार, 2 सितम्बर 2021

सं० 27@vkjki&01&84@2019&8548@lk0i:0
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

10 अगस्त 2021

श्री ओम प्रकाश प्रसाद, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक 499/2011, तत्कालीन अपर समाहर्ता, बेगूसराय सम्प्रति निलंबित के विरुद्ध आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर के पत्रांक-4918 दिनांक-07.09 2018 द्वारा आरोप पत्र भेजते हुए अनुशासनिक कार्यवाई की अनुशंसा की गयी।

श्री प्रसाद के विरुद्ध गैर जिम्मेदाराना ढंग से कार्य करने एवं अनुशासनहीनता बरतने, गणतंत्र दिवस के अवसर पर झंडातोलन नहीं करने, आन्तरिक संसाधन का गलत प्रतिवेदन देने, विभागीय जांच के कार्यों में अभिरुचि नहीं लेने, आदेश निर्गमन एवं निस्तारण में विलम्ब करने, राजस्व विभाग के कार्यों का पर्यवेक्षण करने में अक्षम रहने, श्री विजय प्रसाद वर्मा से 2,50,000/-रु० नगद ठगने तथा लगभग 70,000/-रु० का विभिन्न प्रकार का सामान लेने एवं रुपये मांगने पर गाली-गलौज करने, संचिकाओं के उपस्थापन में विलंब करने, मा० मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग की अध्यक्षता में आहूत बैठक में अनुपस्थित रहने, संचिकाओं के उपस्थापन में विलंब करने तथा श्री नन्दकिशोर पंडित, लिपिक, सदर अस्पताल, बेगूसराय की जाली नियुक्ति के संबंध में गलत तथ्यों को उपस्थापित करने का आरोप प्रतिवेदित है।

2. विभागीय संकल्प ज्ञापांक-12681 दिनांक-29.12.2020 द्वारा श्री प्रसाद के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। इस विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी जिला पदाधिकारी, बेगूसराय द्वारा नामित वरीय पदाधिकारी को नामित किया गया।

3. विभागीय कार्यवाही के संचालन के क्रम में श्री प्रसाद द्वारा एक अभ्यावेदन (दिनांक-07.04.2021) संचालन पदाधिकारी को समर्पित किया गया जिसमें आरोपित पदाधिकारी द्वारा आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को संचालन पदाधिकारी बनाये जाने पर आपत्ति दर्ज की गयी है।

4. श्री ओम प्रकाश प्रसाद द्वारा समर्पित अभ्यावेदन (दिनांक-07.04.2021) की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी। *leH{kki jkr Jh i: lkn d: fo: } foHkxh; l: dYi Kkikd&12681 fnukd&29-12-2020 }kjk l: pkfyr foHkxh; dk; okgh e l: pkyu inkf/kdkjh d: : i e fu; Dr fd; x; vk; Dr] exj ieMy] exj dk bl nkf; Ro l: eDr fd; tku dk fu.k; fy; k x; k gA mud lFkku ij bl foHkxh;*

उपस्थापन/ प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी पूर्ववत् जिला पदाधिकारी, बेगुसराय द्वारा नामित कोई वरीय पदाधिकारी होंगे।

5. श्री प्रसाद से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु संचालन पदाधिकारी की अनुमति के अनुसार उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
जय शंकर प्रसाद,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 766-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>